भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2605**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई–कॉमर्स निर्यात हब

2605. डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री आलोक शर्माः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
सुश्री बाँसुरी स्वराजः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई–कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) पहल के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और भारतीय एसएमई और कारीगरों द्वारा निर्यात को किस प्रकार सुगम बनाने का उद्देश्य हैः

(ख) उक्त पहल के तहत ई–कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक डिजिटल और भौतिक अवसंरचना से लैस करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त पहल के तहत छोटे निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क, संभार–तंत्र और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु कोई विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त पहल के कायान्वयन में सहायता के लिए वैश्विक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म या घरेलू संभार–तंत्र प्रदाताओं के साथ कोई साझेदारी की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं (ख) ई–कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) पहल का उद्देश्य भारत से सीमा पार ई–कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए समर्पित क्षेत्र प्रदान करना है। इसका उद्देश्य संभार–तंत्र से संबंधित लागत और लगने वाले समय को कम करके, नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और ई–कॉमर्स वापसी या अस्वीकृति के लिए पुनः आयात को सरल बनाकर लघु एवं मध्यम उद्यमों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों का सहायता प्रदान करना है। ईसीईएच एक ही स्थान पर एकीकृत सेवाएँ प्रदान करेंगे जिसमें सीमा शुल्क निकासी, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग और पत्तन से बाहर भंडारण शामिल हैं।

विदेश व्या पार महानिदेशालय ने इन पायलट परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 22.08.2024 को व्यापार सूचना संख्या 14/2025 जारी की है। कार्यान्वयन के लिए पाँच ईसीईएच पायलट परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

(ग) जी हां, सरकार ने छोटे निर्यातकों के लिए विशेष रूप से ई–कॉमर्स निर्यात के संदर्भ में सीमा शुल्क, संभार–तंत्र और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 9 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान है।

- छोटे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफ़ॉर्म (https://trade.gov.in) लॉन्च किया गया है। यह भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और पण्य बोर्डों से प्राप्त निविष्टियों को एकीकृत करता है। निर्यात बंधु कार्यक्रमों और ई–कॉमर्स निर्यात संबंधी पुस्तिकाओं के माध्यम से भी संपर्क स्थापित किया गया है।

- सीबीआइसी द्वारा अधिसूचना संख्या 23/2023–सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से कुरियर निर्यात के लिए मूल्य सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है। शुल्क वापसी और आरओडीटीईपी जैसी निर्यात शुल्क छूट में दिनांक 12.09.2024 से करियर के माध्यम से निर्यात को शामिल किया गया है।

- डाक विभाग ने सीबीआइसी के साथ समन्वय में, दस्तावेजीकरण, पैकेजिंग और विनियामक अनुपालन में निर्यातकों की सहायता के लिए डाक घर निर्यात केंद्रों (डीएनके) की स्थापना की है। कुल 1,013 डीएनके अधिसूचित किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा 41 देशो को कवर करती है, जिसमें छोटे निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए मात्रा–आधारित छूट दी जाती है।

- इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) के अंतर्गत छोटे मूल्य वाले निर्यातकों के लिए प्रक्रियागत छूट का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा परिपत्र जारी किया है। यह परिपत्र प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों को निर्यातकों द्वारा प्राप्तियों और मूल्य समायोजन की पुष्टि करने वाली तिमाही घोषणाओं के आधार पर ₹10 लाख तक के शिपिंग बिलों का निपटान करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अनुपालन का बोझ कम होगा और छोटी खेपों के लिए समाधान को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

(घ) जी हां, प्रस्तावित ईसीईएच में से कुछ को लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं द्वारा सीधे क्रियान्वित किया जाना है ताकि भंडारण, पैकेजिंग और विनियामक सुविधा की एकीकृत सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सरकार ने वैश्विक ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म और घरेलू लॉजिस्टिक प्रदाताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और आशय पत्रों (एलओआइ) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां जागरूकता पैदा करने, निर्यात तत्परता बढ़ाने और विशेष रूप स एमएसएमई के बीच सीमा पार ई–कॉमर्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारियों ने लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेताओं को शामिल करने तथा उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं से परिचित कराने में सहायता के लिए इन संस्थाओं के साथ मिलकर सम्पर्क और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

*****